

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक प.11(08)नविवि/बाप/2025-14283

जयपुर, दिनांक:

**अधिसूचना**

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को बाप (जिला-फलौदी) के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वेक्षण एवं क्षितिज वर्ष-2047 तक के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त करती हैं:-

| क्रम संख्या | राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में) | राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में) | तहसील |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------|-------|
| 1.          | बाप                              | BAAP                               | बाप   |
| 2.          | अणदासर                           | ANDASAR                            | बाप   |
| 3.          | बोरानाडा                         | BORANADA                           | बाप   |
| 4.          | हाफजनगर                          | HAFJNAGAR                          | बाप   |
| 5.          | जेतड़ासर                         | JETRASAR                           | बाप   |
| 6.          | भोजों की बाप चक 2                | BHOJO KI BAAP CHAK 2               | बाप   |

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)  
शासन उप सचिव-प्रथम

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, फलौदी।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।

9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बाप (जिला-फलौदी)।
10. अतिरिक्त निदेशक/प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ..... में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

**शासन उप सचिव-प्रथम**